अनुमोदन हेतु प्रारूप

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक 2016

संख्या–2/आ0–70–06/15 गृ0आ0 /श्री बिरेन्द्र कुमार साहू, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रजौली सम्प्रति निलंबित मुख्यालय पुलिस उप–महानिरीक्षक पूर्णियाँ क्षेत्र पूर्णियाँ के विरूद्ध आरोप है कि जब वे रजौली में पदस्थापित थे तब रजौली थाना कांड सं0–109/2015 में प्राथमिकी अभियुक्त यथा काराधीन महेश कुमार के भाई जयपाल यादव, पिता–चन्द्रिका यादव सा0 हरदिया, थाना–रजौली जिला–नवादा ने महेश कुमार का नाम कांड से निकालने के लिए अपने अंगरक्षक मो0 मुन्ना के माध्यम से 2,00,000/–(दो लाख) रुपये रिश्वत मांगा गया। यह शिकायत दिनांक 26.05.2015 को जयपाल यादव द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उक्त शिकायत के सत्यापन में पाया गया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली श्री वीरेन्द्र कुमार साहू, अपने अंगरक्षक मो0 मुन्ना के माध्यम से 1,10,000/–(एक लाख दस हजार) रुपये रिश्वत की मांग की गयी है। बातचीत के क्रम में मो0 मुन्ना द्वारा कहा गया कि साहेब के लिए राशि 1,00,000/–(एक लाख) रुपये एवं मेरे लिए 10,000/–(दस हजार) लेकर आओ तो तुम्हारा काम करवा दूगाँ तत्पश्चात ब्यूरो द्वारा धावा दल का गठन किया गया। ब्यूरो के धावा दल द्वारा दिनांक 29.05.2015 को ट्रेप की कार्रवाई की गई। ट्रेप की कार्रवाई के क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली श्री साहू द्वारा मांगी गयी रिश्वत की राशि अपने कार्यालय में परिवादी से प्राप्त न कर अपने अंगरक्षक सिपाही मो0 मुन्ना को देने की बात कही गयी। तदोपरांत सिपाही सं0–19 मो0 मुन्ना के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली श्री वीरेन्द्र कुमार साहू के लिए रिश्वत की राशि 1,00,000/–(एक लाख) रुपया एवं स्वयं के लिए 10,000/–(दस हजार) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ निगरानी ब्यूरो ट्रेप टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

2. उक्त के आलोक में निगरानी थाना कांड सं0–042/15 दिनांक 29.05.2015 दर्ज की गयी जिसमें श्री वीरेन्द्र कुमार साहू, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा तथा सिपाही सं0–19 को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया।

3. श्री साहू के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना अपने स्तर से एक प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मनोनित करेंगे। श्री साहू से अपेक्षा की जाती है कि वे विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के कार्यालय में इस संकल्प की प्राप्ति की तिथि से दस दिनों के अंदर संचालन पदाधिकारी के द्वारा निदेशित तिथि को स्वयं उपस्थित हो।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मनोनित करने हेतु पुलिसि महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(देव नारायण मंडल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक–2/आ0–70–06/2015 गृ0आ0 3580 4447 /पटना, दिनांक 6/5 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) बिहार, पटना/श्री बिरेन्द्र कुमार साहू, निलंबित पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय/पुलिस उप–महानिरीक्षक, पूर्णियाँ क्षेत्र का कार्यालय पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक से अनुरोध हे कि संकल्प की एक प्रति संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को तामिला कराने की कृपा की जाय तथा तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/आ0–70–06/2015 गृ0आ0 3580 /पटना, दिनांक 6/5/2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।